न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 27 / 2020 अपील / प्रतापगढ़ (GCMS 2020/00027)
पंजीयन दिनांक– 14.02.2020
निर्णय दिनांक– 28.09.2020

1. श्री छगनलाल पिता भंवरलाल रावत, निवासी हडमतिया जागीर, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्री उंकारसिंह पिता वक्तावरसिंह राजपूत, निवासी हडमतिया जागीर, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
3. श्री शिवेन्द्रसिंह पिता रतन सिंह राजपूत, निवासी हडमतिया जागीर, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

..... **अपीलान्ट**

बनाम

1. श्री अशोक कुमार पिता प्रेमचंद धाकड, निवासी हडमतिया जागीर, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्रीमती गीता पत्नि श्री अशोक कुमार धाकड, निवासी हडमतिया जागीर, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
3. सरकार जरिये, तहसीलदार, छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

अधिवक्ता :
श्री बी. एल. पालीवाल : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री एच. पी. शर्मा : अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू
एक्ट–1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण
संख्या 02 / 2013 निर्णय दिनांक 28.11.2014

निर्णय

दिनांक–28.09.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण

संख्या 02/2013 निर्णय दिनांक 28.11.2014 के विरूद्ध दिनांक 22.01.2015 को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ केम्प–प्रतापगढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 23.01.2020 को दर्ज की गई। जिला प्रतापगढ़ से संबंधित क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानान्तरित होकर दिनांक 14.02.2020 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व नियम 1970 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हडमतिया जागीर पटवार हल्का बम्बोरी की आराजी संख्या 697 रकबा 1.27 हैक्टेयर भूमि आवंटन प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) छोटीसादडी द्वारा राजस्व अभियान–2013 शिविर मुकाम बम्बोरी, पंचायत समिति छोटीसादडी दिनांक 16.01.2013 को उक्त भूमि रेस्पोडेंट को आवंटित की गई थी। उक्त भूमि ग्रामवासियों के सार्वजनिक उपयोग–उपभोग की होते हुए भी राजस्व कार्मिकों द्वारा राजस्व अभियान के दौरान रेस्पोडेंट (आवंटी) को लाभ पहुंचाने की नियम से अति–कीमती भूमि रेस्पोडेंट के भूमिहिन एवं SC/ST संवर्ग के काश्तकार नहीं होते हुए भी विधि के विपरित आवंटन किया जाना विधि विरूद्ध रहा है। तथा आवंटी/रेस्पोडेंट के उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहते हुए भी आवंटी के पक्ष में मिथ्या 91 की कार्यवाही निष्पादित करते हुए आवंटन किया गया है। उपरोक्त क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सख्या 02/2013 निर्णय दिनांक 28.11.2014 से उक्त वर्णित प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– ***"बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र दिनांक 12.02.2013, आवंटन मिसल नम्बर 12/2013 आदेश दिनांक 16.01.2013, जवाब दिनांक 30.09.2014 के साथ–साथ अन्य संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।***

उपरोक्त संपूर्ण विवेचन की रोशनी से ज्ञात आया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई सक्षम एंव ठोस साक्ष्य रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं कराये गये है, जिनसे प्रार्थना पत्र में वर्णित आक्षेपों की अवधारणा की जा सके, आवंटी को आवंटित भूमि किस्म आवंटन योग्य रही है तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा लिये गये निर्णय में आर्थात आवंटन में कोई विधिक त्रुटि भी दर्शित नहीं होती है जिससे की आवंटन निरस्त किया जा सके, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र किन्हीं भी परिस्थितियों में सिद्ध योग्य नहीं पाये जाने के मद्देनजर प्रकरण मेरिट पर निर्णित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है, आवंटन मिसल संख्या 12/2013 आदेश दिनांक 16.01.2013 को यथावत बहाल रखा जाता है।"

उक्त आदेश/निर्णय के क्रम में अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री बी. एल. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से श्री एच. पी. शर्मा उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 16.09.2020 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिये था लेकिन अपीलांट की अनुपस्थिति बता कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय हेतु अग्रसर होने का उल्लेख तो अवश्य कर दिया किन्तु अपने निर्णय में लिये गये तथ्यों को विधि विधान व उनका उल्लेख व विचार नहीं करते हुए जो निर्णय पारित किया है व अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेंट को आक्षेपित भूमि तथा आवश्यक योग्यता एवं पात्रता नहीं होने, केवल पक्षपात एवं मनमाने तौर पर मिली भगत कर आवंटित की है। आक्षेपित भूमि गांव के उपयोग की है। आवंटी के पिता द्वारा इस पर खडे कई पेडों को जो हरे एवं उपयोगी थे, उनको काट कर चुराया

लेकिन पटवारी हल्का ने शिकायतों पर किसी प्रकार के बयान नहीं लेकर अपने स्तर पर मनमानी रिपोर्ट तैयार कर पेश की है। रेस्पोडेंट एससी/एसटी का सदस्य नहीं है ना ही बीपीएल योग्यता धारी है इतना ही नही इनके दो–दो अफीम के पट्टे है। रेस्पोडेंट को पूर्व में वर्ष 2008 में इसी अराजी नम्बर 697 रकबा 1.47 हैक्टेयर में से 0.20 हैक्टेयर आराजी आवंटित की जा चुकी है, जो रेस्पोडेंट के खाते दर्ज है इस आराजीयात का बचा रकबा अब पुरा का पुरा नियम विरूद्ध आवंटन कर दिया है जो खारिज योग्य है। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट के कॉलम नम्बर 13 पर आवंटी को अतिक्रमी संवत् 2069 का बताया है व पी–14 क्रमांक 3 पर अंकन किया गया है। यह रिपोर्ट पटवारी की कतई झुठी है। तहसीलदार, छोटीसादडी ने रेस्पोडेंट के पिता को अतिक्रमी मान कर फाईल फैसल की है इस तरह इस गलत आवंटन कराने में पटवारी का पुरा सहयोग रहा है। दिनांक 09.01.2013 को आवंटी के पिता को बेदखल किया गया है। दिनांक 16.01.2013 को रेस्पोडेंट को आवंटन कर दिया जो निरस्त योग्य है तथा उद्घोषण भी गलत बताई है। दिनांक 09.01.2013 को पटवारी द्वारा भूमि पर कब्जा अतिक्रमी श्री प्रेमचंद को बताया है। इस तरह आवंटन की उद्घोषणा भी संदिग्ध हो जाती है। क्योंकि घोषणा के पूर्व में भूमि किसी के कब्जे में नहीं होनी चाहिये और अतिक्रमी प्रेमचंद के बेदखल करने के 7 दिन बाद ही पटवारी ने आवंटन कर दिया जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपील में वर्णित कथनों का खण्डन करते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आधार विहिन है, तथा अपीलांट द्वारा अपेक्षित बिन्दुओं के परिपेक्ष्य कोई रेकार्ड भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। केवल ईर्ष्यावश प्रकरण संचालित किया गया है, जो प्रारंभ से खारिज योग्य है। रेस्पोडेंट को आवंटित भूमि किस्म आवंटन योग्य रही है तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा लिये गये निर्णय अर्थात आवंटन में कोई विधिक भी दृर्शित नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारीज किये जाने बाबत निवेदन किया है।

राजकीय अभिभाषक द्वारा भी आवंटन नियमानुसार होना बताते हुए अपील अपीलांट खारीज किये जाने बाबत निवेदन किया है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा पेश किये गये अपील मेमो, अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये आवेदन एवं बहस के आधार पर अपीलांट द्वारा आवंटी रेस्पोंडेण्ट के आवंटन को खारिज कराने हेतु जो आवेदन पेश किया था, उसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की बहस नहीं सुनी अपितु गुणावगुण पर निर्णय किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अपीलांट के आवेदन को प्रमाणित नहीं होना माना है। अपीलांट का प्रमुख अपील उज्र यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के समस्त अपील आधारों पर विचार नहीं किया। हम पुनः अधीनस्थ न्यायालय एवं अपील मेमो में अपीलांट द्वारा पेश किये गये उजरात पर यदि पुनः प्रारम्भ से विचार करते हैं तो यह प्रकट आता है कि अपीलाण्ट ने यह कथन अवश्य किया है कि अपीलांट आवश्यक योग्यता, पात्रता नहीं रखता परन्तु उसको सिद्ध करने के लिए उसके द्वारा जो आधार लिये गये हैं, वह यह है–

1. अपीलांट के विरूद्ध मिथ्या धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की गई तथा उसके पिता ने उक्त भूमि पर खड़े पेड़ों को कटवा लिया था तथा यह भूमि बेशकीमती है।

   हमारा यह मानना है कि पेड़ काटने बाबत् कोई साक्ष्य अपीलांट द्वारा नहीं दिये गये हैं तथा तहसील के धारा 91 की कार्यवाही को मिथ्या मानने का कोई आधार नहीं है। यदि भूमि की कीमत अधिक है तो उसे आवंटन नहीं किया जाएगा, यह कोई आधार नहीं है। आवंटन निरस्त किये जाने के लिए Fraud एवं Misrepresentation अथवा योग्यता एवं पात्रता का नहीं होना अथवा विधि का उल्लंघन होना प्रमाणित होना आवश्यक है।

2. अपीलांट द्वारा अन्य आधार यह लिया गया है कि आवंटी अनुसूचित जाति/जनजाति एवं बी.पी.एल. सदस्य नहीं है तथा आवंटी व उसके पिता के पास अफीम का पट्टा है।

   भू–आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुतशुदा आवेदन पर भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विचार किया जाता है एवं तद्नुसार प्राथमिकताएं तय होती है। आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष अन्य किसी अधिक वरीयताधारी आवेदन प्रस्तुत किया हो, ऐसा कोई तथ्य

रेकर्ड पर नहीं है तथा किसी काश्तकार के पास अफीम के पट्टे होने से वह पात्रता नहीं रखता हो, ऐसा नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

3. अपीलांट ने अन्य उज्र यह लिया है कि आवंटी को पूर्व में भी भूमि आवंटन हुई है।

किसी आवंटी को पूर्व में भूमि आवंटन हुई है तो उसे पुनः भूमि आवंटन तब नहीं की जाती है ज बवह आवंटित भूमि को बेचकर भूमिहीन हो जाए। किसी भी आवंटन को उसकी योग्यता व पात्रता के अनुसार भूमि आवंटन किये जाने में विधि अनुसार कोई रोक नहीं है।

4. अपीलांट द्वारा अन्य उज्र यह लिया गया है कि आवंटी व उसके परिवार के नाम पर्याप्त भूमि है।

आवंटन आवेदन में एवं अपीलांट द्वारा पेश की गयी समस्त आराजीयात व आवंटित आराजी को शामिल करने पर भी निर्धारित 4 हैक्टेयर भूमि से अधिक भूमि आवंटी रेस्पोंडेण्ट के पास नहीं पायी जाती है। अतएवं यह आधार भी आवंटन निरस्त किये जाने के लिए उचित नहीं है।

5. अपीलांट का अन्य कथन यह है कि रेस्पोंडेण्ट आवंटी के पास मकान, भूमि, ट्यूबवेल इत्यादि है।

उक्त आधारों से आवंटन की पात्रता प्रभावित नहीं होती है।

6. अपीलांट का अन्य उज्र यह है कि भूमि की उद्घोषणा नहीं हुई तथा भूमि पर पूर्व में अतिक्रमी प्रेमचन्द (आवंटी के पिता) का कब्जा था।

अपीलांट द्वारा पेश किये गये उक्त आधार को मान्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि उद्घोषणा नहीं होने बाबत अपीलांट द्वारा कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है तथा आवंटी के पिता का पूर्व में कब्जा था तो इस आधार पर आवंटी के पिता को आपत्ति हो सकती है। अपीलांट इस प्रकार की आपत्ति किये जाने के लिए अधिकृत नहीं है।

हमारे द्वारा उपरोक्त समस्त अपील आधारों पर विचार करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलांट किस प्रकार व्यथित है,

इस हेतु भी उसने कोई प्रमाण नहीं दिये हैं एवं जो ऐसे आधार उसके द्वारा लिये गये हैं, वे आवंटन निरस्त किये जाने के लिए विधिक, उचित एवं पर्याप्त नहीं है एवं तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवेदन खारिज कर आवंटी रेस्पोंडेण्ट का आवंटन बहाल रखने का जो निर्णय किया है, उसमें हम किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर